

आयुक्तालय, कालज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 4 (33) आकाशि/नि.सं./2012/102

दिनांक:- 04/04/2016

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2015-16(एक वर्ष) हेतु पूर्व संचालित विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है -

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित संकाय/विषय
मॉ. शारदे महाविद्यालय, गांगडतलाई तह0 गांगडतलाई, जिला- बांसवाड़ा।	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर	पूर्व संचालित विषय/संकाय

1. संस्था सत्र 2016-17 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करेगी।
2. संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
3. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा एवं तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय सीमा में ही प्रवेशस दिया जायेगा।
4. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन(विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
5. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपान्तरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा।
7. संस्था द्वारा यू.जी.सी. योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
8. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
9. आवश्यकता अनुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेगा।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
13. संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर सहित दिसम्बर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे।
14. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
15. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture formate) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard Copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शारदा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।